

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(231)वित्त-1(1)आय व्ययक/2016/

दिनांक : 26.02.18

कोषाधिकारी,
उदयपुर, राज0।

(स्वीकृति संख्या 735 /2017-18)

विषय : नगर निगम, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.55(29)Engg/CE/DLB/ESCO/2017/27579-96 दिनांक 15.02.2018 (प्रति संलग्न) के क्रम में नगर निगम, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 406.31 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ छः लाख इकत्तीस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावे :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

(29) - सार्वजनिक रोशनी

[01] - विद्युत बिलों का भुगतान प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) -

राशि रूपये 406.31 लाख

उक्त राशि का आहरण नियमानुसार संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम व नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, उदयपुर, राज0।
06. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर, राज0।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 27579

दिनांक : 15-2-18

--:: स्वीकृति आदेश ::--

विषय : ऊर्जा संरक्षण कार्यों के तहत विभिन्न फर्मों द्वारा किये गये कार्य के भुगतान हेतु नगर निगम, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

राज्य की नगरीय निकायो में कार्य कर रही फर्म मैसर्स Energy Efficiency Services Limited को भुगतान हेतु राशि रूपये 406.31 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ छः लाख इकत्तीस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये नगर निगम, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

Sr. No.	Treasury Office	Name of Nigam	Name of Frim	मौग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80- 191-(29)-[01]-12 प्रतिबद्ध (राज्य निधि)
1	2	3	4	5
1	Udaipur (1128)	Udaipur	Energy Efficiency Services Limited	406.31
	Total			406.31

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171800134 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में जारी की गई है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 27580-96 दिनांक : 15-2-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. शासन सचिव (बजट)/आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि नगर निगम, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी करने हेतु।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता निदेशालय।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू के अनुसार होने की सुनिश्चिता की जावे।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, उदयपुर।
12. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
13. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू की शर्तों की पूर्ति होने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावे।
14. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
15. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
16. मैसर्स Energy Efficiency Services Limited, New Delhi.
17. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राम पवार)
मुख्य लेखाधिकारी